

उत्तर प्रदेश सरकार
हरिजन सर्व समाज कल्याण अनु-2
संख्या 3465/खजूसि-2-88/11/म/85
लखनऊ: दिनांक: 6 दिसम्बर, 1988

अधिभूचना

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 अधिनियम संख्या 28 सन् 1961

धारा 8/3 की उपधारा 1/1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके,
राज्यपाल हरिजन सर्व समाज कल्याण विभाग के जिला परिचीक्षा
अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं
जो अयोध्या जिले के क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता
और शक्ति का प्रयोग करेंगे।

आज्ञा से,
[Signature]

संख्या 3465/खजूसि-2-88/11/म/85

हरिजन सर्व समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, कल्याण

जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण

- 1. जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
- 2. जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
- 3. जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
- 4. जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
- 5. जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण

आज्ञा से,
[Signature]
उपरोक्त।

निवेदन: जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश।

संख्या 3465/खजूसि-2-88/11/म/85

हरिजन सर्व समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण
जिला परिचीक्षा अधिकारी, जिला परिचीक्षा, उत्तर प्रदेश, कल्याण

[Signature]
उपरोक्त।